भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1806
उत्तर देने की तारीख 13 फरवरी, 2023
सोमवार, 24 माघ, 1944 (शक)

युवा उद्यमियों को शिक्षा

1806. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में दी जाने वाली युवा उद्यमशीलता शिक्षा का ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का युवा उद्यमशीलता और क्षमता का विस्तार करने के लिए कोई नया कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) जी हां।

नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 1061 उच्च शिक्षा संस्थान शैक्षणिक पाठ्यक्रम क्रेडिट (मुख्य+ऐच्छिक), डिप्लोमा/यूजी/पीजी/पीएचडी स्तर पर नवोन्मेष/उद्यमशीलता/बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित पाठ्यक्रम ऑफर कर रहे थे। इसके अलावा 892 उच्च शिक्षा संस्थान न्यूनतम 30 संपर्क घंटे की अवधि के नवोन्मेष/उद्यमशीलता/बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) में गैर-शैक्षणिक अल्पावधि प्रमाण-पत्र कार्यक्रम/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)/ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)/संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) ऑफर कर रहे थे। इसके अलावा, 23 संस्थाएं शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में नवोन्मेष, उद्यमशीलता और उद्यम विकास कार्यक्रम में एमबीए/पीजीडीएम ऑफर कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय का नवोन्मेष प्रकोष्ठ संकाय सदस्यों के लिए नवोन्मेष राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें डिजाइन थिंकिंग, आईपीआर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्री-इनक्यूबेशन एंड इनक्यूबेशन मैनेजमेंट और उद्यमशीलता विकास शामिल है।

नवोन्मेष राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

प्रशिक्षण स्तर	**उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या (एचईआई)**	**प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संकाय सदस्यों की संख्या**
फाउंडेशन लेवल (17 संपर्क घंटे)	1752	12405
एडवान्सड लेवल (19 संपर्क घंटे)	1762	6125

इसके अलावा, देश भर की 1,800 संस्थाओं में नवोन्मेष और उद्यमिता संबंधी कार्यशालाएं/संगोष्ठी/सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 63,208 कार्यकलापों का आयोजन किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार युवा उद्यमशीलता और क्षमता के विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। हाल ही में, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 5,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा के माध्यम से 10 राज्यों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है जिसे दिनांक 07.02.2023 को स्वीकृति दी गई है।

एमएसडीई ने उद्यमशीलता विकास के लिए निम्नलिखित पहलें/कार्यक्रम शुरू किए हैं:

1) छह पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना निस्बड और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य संभावित और मौजूदा उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, पिछड़े समुदायों के युवाओं आदि की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता कार्यकलापों को उत्प्रेरित करना है।
2) प्रतिभागियों के मौजूदा उत्पादों में मूल्यवर्धन, वित्तीय और बाजार-संपर्क बनाने तथा उनके उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उनके व्यवसायों को सरकारी विनियमों के अनुरूप बनाने के लिए निस्बड, नोएडा के माध्यम से कारीगर मेलों और हाटों में कार्यशालाओं का आयोजन करना।
3) निस्बड द्वारा क्षमता-निर्माण, परामर्श, हैंडहोल्डिंग और पोषण सहायता के माध्यम से जेल संवासियों में उद्यमशीलता विकास को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम नारी बंदी निकेतन, लखनऊ, मॉडल जेल, लखनऊ और वाराणसी जेल में चलाए जा रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 260 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
4) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशील वातावरण बनाना से क्षमता-निर्माण, पोषण सहायता, परामर्श और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना

को सृजित करने, बढ़ावा देने और प्रसार करने के लिए एमएसडीई द्वारा निस्बड और आईआईई के माध्यम कार्यान्वित किया जा रहा है।

5) पीएम-युवा प्रायोगिक परियोजना को उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, एडवोकेसी और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से इकोसिस्टम बनाने और सक्षम करने के लिए कौशलीकरण इकोसिस्टम (अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) और जेएसएस) से आने वाले छात्रों/प्रशिक्षुओं और पूर्व छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमएसडीई द्वारा नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 तक कार्यान्वित किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत 62,577 लाभार्थी शामिल किए गए थे।

देश में उद्यमशीलता और क्षमता का विस्तार करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

1) गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से दूर-दूर तक फैले पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और उन्हें उन तक यथासंभव स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
2) विकास आयुक्त कार्यालय, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय का उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा व्यक्तियों (पुरुषों और महिलाओं) को स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलता है। दिनांक 01.02.2023 तक ईएसडीपी के अन्तर्गत 4,35,899 लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
3) स्टैंड अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिनांक 05.04.2016 को शुरू की गई थी और इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को प्रति बैंक शाखा से 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बीच के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह स्कीम सलाह/मेंटरशिप की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त और विलंबित क्रेडिट के कारण प्रमुख बाधाओं का सामना करने वाले समाज के अब तक पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती है।

****